



Har Ghar Jal
Jai Jeevan Mission

जल जीवन मिशन हर घर जल

ग्राम कार्ययोजना (वी०ए०पी०)

आर्यावर्त सेवा एवं विकास संस्थान, लखनऊ



Har Ghar Jal
Jai Jeevan Mission

जल सभी सभी गतिविधियों को पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। ग्राम पंचायत और/या इस्की उप-समिति, अर्थात् डी०एच०एच०एच०एच०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा संचालित की जाती है और डी०एच०एच०एच०एच०सी० को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित करा जाती है। आई०एच०एच०एच० द्वारा मार्गदर्शन/सहायता प्रदान किया जाता है।

1. तैयारी की तारीख 27-6-2023 844 स्थित ग्राम कार्ययोजना की संख्या 46
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख 29-6-2023
डी०एच०एच०एच०एच०सी० को प्रस्तुत किये जाने की तारीख

2. ग्राम का नाम गंगासूरी
ग्राम पंचायत का नाम गंगासूरी
विकास खण्ड का नाम धुधली
जनसंख्या का नाम महाराजगंज
राज्य का नाम उत्तर प्रदेश
ग्राम जनगणना कोड

यदि लागू हो तो, इस्तिफों की संख्या और उनके नाम

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकंक्षा 10 संख्या, नदेशी कुड़ों को और 35 संख्या, कपड़ा धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आहार पर अर्थात् 10 घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल०एच०एच०एच०सी० जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध करने के लिये एच०एच०एच०एच०सी० प्रदान करना।

हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतर्ग्राम जल आपूर्ति व्यवस्थापन के अग्रगण्य, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सक्षम नहीं करेंगे। हम अपने गंदे जल की व्यवस्था करेंगे और नीचे/साफ जल को इंचायेंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूजा/सागत का 10 प्रतिशत और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा। पानी की गुणवत्ताका प्रमाण पत्र डी०एच०एच०एच०सी०/आर०एच०एच०एच०सी० विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

4. ग्राम पंचायत और /या इस्की उप-समिति, अर्थात् डी०एच०एच०एच०एच०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति ग्राम पंचायत में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

ग्राम पंचायत और/या उप-समिति गंगासूरी
समिति को क्या कहा जाता है ग्राम पंचायत एवं विकास समिति
समिति के अध्यक्ष का नाम विजय लक्ष्मी चौधरी
पिता अ०
आयु 25

क्र०सं०	व्यक्ति का नाम	लिंग	आयु	जाति	अन्य विवरण
1	विजय लक्ष्मी चौधरी	पुरुष	25	OBC	अध्यक्ष
2	देवेंद्र सिंह	पुरुष			सचिव
3	शिवम चौधरी	पुरुष	19	OBC	कोषाध्यक्ष
4	कुसुमावती	महिला	60	OBC	सदस्य
5	माया	महिला	40	SC	सदस्य

6	शीला	महिला	48	SC	सदस्य
7	प्यारी देवी	महिला	60	SC	सदस्य
8	धूपकली	महिला	65	OBC	सदस्य
9	श्रीराम	पुरुष	45	OBC	सदस्य
10	श्रीराम	पुरुष	65	OBC	सदस्य
11	रविशंकर	पुरुष	70	OBC	सदस्य
12	मालिकमनिषा	महिला	70	OBC	सदस्य
13	मीरा	महिला	35	OBC	सदस्य
14	विजयावती	महिला	38	OBC	सदस्य
15	सुपनारायण	पुरुष	48	OBC	सदस्य

III- सामान्य विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार	वर्तमान पंचायत/आगनवाड़ी रिकार्ड के अनुसार
जनसंख्या 2475	जनसंख्या 2920
परिवारों की संख्या 348	परिवारों की संख्या 410
महिलाओं की संख्या 1184	महिलाओं की संख्या 1397
पुरुषों की संख्या 1291	पुरुषों की संख्या 1523
बच्चों की संख्या 341	बच्चों की संख्या 402
एफओएचटीओसी की संख्या	एफओएचटीओसी की संख्या

7- जनसंख्या अनुमान

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष वर्तमान जनसंख्या से 18 प्रतिशत वृद्धि

किलोमीटर/दिन के 0.4 से 0.8 अतिन चरण वर्तमान से 30 वर्ष वर्तमान जनसंख्या में 32 प्रतिशत वृद्धि

... किलोमीटर/दिन के 0.4 से 0.8

8- वर्तमान नदी की संख्या न्युनतम रिकार्ड

9- कृषि जल संचयन

प्रमुख जसतें	छरीफ	रबी
गन्ना		
धान		
मक्का		
कमर		
गेहूँ		
अन्य		

10- औसत जल वर्षा मिमी में

11- स्थलाकृति सततक, उलान, आदि

12- स्थिति विश्लेषण

13- क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? हाँ / नहीं

ग्राम कार्ययोजना के साथ मानचित्र संलग्न करें

14- क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? हाँ / नहीं

ग्राम कार्ययोजना के साथ मानचित्र संलग्न करें

14-

क्र. सं.	सांसाधनिक संस्था का नाम	क्या एफओएचटीओसी उपलब्ध है? हाँ/नहीं	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? हाँ/नहीं	संजला गड्डों की उपलब्धता? हाँ/नहीं

1	स्कूल			
2	आगनवाडी			
3	स्वास्थ्य केंद्र			
4	ग्राम पंचायत भवन			
5	अन्य			

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15- पानी की वर्तमान आवश्यकता..... जनसंख्या दर..... के०एल०डी०

पेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता..... के०एल०डी०

खेती कुड़े की आवश्यक संख्या.....

मध्यम वर्गी वरग के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर..... के० एल० डी०

असह्य वरग के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर..... के०एल०डी०

पानी आपूर्ति का इतिवृत्त

16- गाठ में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रकृति

17-आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, रेल गाडियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

18-पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित आर्थिक कार्य, जोत को नजदूर करनेका इतिवृत्त

19-जल जनित रोगों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता

20- जीवित परीक्षण किट/बायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें.....

21- सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीखें

22- जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले नीजुदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता. स्रोत का नाम अवस्थिति.....

स्रोत	मापदण्ड	तरीका	परिणाम
	गहनी	दृश्य तुलना	
	पीएच	पट्टी रंग तुलना	
	पूर्ण लयणता	टिट्रिमेटिक विधि	
	पूर्ण क्षारीयता	टिट्रिमेटिक विधि	
	क्लोराइड	टिट्रिमेटिक विधि	
	अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
	फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
	अकार्बनिक क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
	आयरन	दृश्य रंग तुलना	
	नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
	क्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
	आर्सेनिक हाट स्पॉट में	दृश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने/ स्नान करने का स्थान

23- यह समाधान है कि गांव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने/स्नान करने के लिए या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी

स्रोत स्थायित्व

24- भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोस्टेल स्विचर्ड संरचना है? हां/नहीं

25- गांव में उन मौजूदा जल संचारों की सूची जिनका कार्य कल्प/मरम्मा कार्य किया जाना आवश्यक है।

गंदे जल का प्रदूषण

26- उत्तम गंदे जल जल अमूर्ति का 66 प्रतिशत के 0.5 लीटर/दिन अलग-अलग सौख्य गडबो वाले परिवारों की संख्या

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सौख्य गडबो की आवश्यकता है

आवश्यक सामुदायिक सौख्य गडबो की संख्या

क्या अपशिष्ट तालाब की आवश्यकता है? हां / नहीं

यदि हां तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है

यदि नहीं तो गंदे जल के प्रदूषण के लिए कौन से अन्य उपाय अपनाये जाने चाहिए

III- जल अमूर्ति योजना

27- निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एन0एच0टी0सी0 प्रदान करें जाएंगे

- जतिन छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 के तहत शुरू की गयी योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्व में डुबे आर0 डब्ल्यू0एस0 की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे0जे0एन0 के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल / सिंग वाटर / स्थानीय या भारतीय जल वाले गांवों में एस0पी0एस0
- शौचन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस0पी0एस0
- वाटर रोड/सेंट्रीज जल अमूर्ति योजनाओं वाले एस0पी0एस0
- किन्हीं और वर्गों आधारेत जो डब्ल्यू0एस0 जो एकल/अधिकांश इस्तिमों में स्थित है।

28- अभिनिर्धारित जल स्रोत तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्राथमिक जल अमूर्ति योजना इस योजना के लिए

अभिनिर्धारित भूमि यह तारीख, जिस पर यह भूमि पी०एच०ई०डी०/आर०डब्ल्यू०एस०
की संपत्ति होगी योजना की तारीख भारत सरकार का हिस्सा
राज्य सरकार का हिस्सा ग्राम पंचायत/समुदाय का हिस्सा

व्यक्तिगत/घरेलू अराबान वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क व्यक्तिगत/घरेलू
नारिक जल आपूर्ति शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित
पी०डब्ल्यू०एस०

III- मेल-जोल

निम्नलिखित तालिका में उन सभायित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल सम्भव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

29-

योजना का नाम	केंद्र/राज्य सरकार का विभाग	समायित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
बीवहय विल आयोग	ग्राम पंचायत	पै-वाटर मीनेजमेंट, सेरेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत मिशन एस०डी०एस०-जी०	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	पै-वाटर मीनेजमेंट, स्वच्छता गुरुदे व्यक्तिगत/सामुदायिक अपशिष्ट, तालछट तालाब आदि।	
एन०डी०एन०आर०ई०डी०एस०	ग्रामीण विकास मंत्रालय	मकृतिक संसाधन प्रबंधन एन०डी०एन० घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आइ०डी०डब्ल्यू०एस०पी०	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आर०डब्ल्यू०एस०/कृषि पुर्नभरण, जल निकासी का निर्माण/वृद्धि आदि	
जल सफाई की नरन्त, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल सफाई का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर०डी०डी०आई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से सम्बन्धित कार्य	
स्वामनत्री कृषि सिंचाई योजना पी०एन०के०एस०आई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक क्षमता वाली विभिन्न फसलों के लिए सूख-सिंचाई का प्रबंधन, एक्सीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
जातिपूरक वनीकरण क्षेत्र प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुर्नजनन, वाटरशेड विकास आदि।	
स्वामनत्री कौशल विकास योजना पी०एन०के०एस०आई०	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर०डब्ल्यू०एस० योजनाओं के लिए	

		आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकस्मिकी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	धजला कलेक्टर के पास उपलब्ध दिव्यकालीन मिथियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियां	
जिला कनिष्ठ विकास निधि डी०एन०ए०ए०ए० एन०पी०ए०ए०ए०ई०	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियां अंतःग्राम अवसंरचना	
एन०ए०ए०ए०ए०ए०ए०ई०	संघिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एन०ए०ए०ए०ए०ए०ई०	अंतःग्राम अवसंरचना	
एन०ए०ए०ए०ए०ए०ए०ई०	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
सर्विधान के अनुच्छेद 276 1 के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना टी०ए०ए०ए०ए०	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रयोजक			



अध्यक्ष के हस्ताक्षर

टी०ए०ए०ई०डी० / एन०ए०ए०ए०ए०ए०ई० विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आई०ए०ए०ए० प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर यदि लागू हो

संपर्क विवरण

ग्राम प्रधान और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् डी०ए०ए०ए०ए०ए०ई०/पानी समिति/प्रयोजक समूह आदि का अध्यक्ष

ग्राम प्रधान सचिव का नाम और फोन नंबर विजेन्द्र सिंह

उपनीति तकनीशियन का नाम और फोन नंबर

पानी की गुणवत्ता की दृष्टि से सुनिश्चित करने के लिए 5 महिलाओं के नाम और फोन नंबर

- 1 आरती देवी - 9452 999904
- 2 अमृता देवी - 7081816581
- 3 अनिता - 9956295549
- 4 अमरकती - 887435706
- 5 अर्पिता - 7860387013

अधिकार का नाम और फोन नंबर